भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आईडी/2015/एसडीआर/वाल्यूम-I दिनांक: 26 मार्च, 2015

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

1. महाराष्ट्र
2. पंजाब
3. उत्तर प्रदेश
4. उत्तराखण्ड

विषय : **राज्य की विधान सभाओं के उप-निर्वाचन, 2015-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश।**

महोदय,

दिनांक 17.03.2015 (मंगलवार) को अधिसूचित महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों की विधान सभाओं के लिए, **महाराष्ट्र में 176-वान्द्रे पूर्व और 287-तासगांव-कवठे महांकाल विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, पंजाब में 107-धूरी विधान सभा निर्वान-क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 231-चरखारी और**

315-फरेन्दा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों तथा उत्तराखंड में भगवानपुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चालू उपनिर्वाचनों में निर्वाचकों की पहचान करने के संबंध में आयोग का आदेश, दिनांक 26 मार्च, 2015 इसके साथ संलग्न करने का मुझे निदेश हुआ है।

2. आयोग ने निदेश दिया है कि ऐसे सभी निर्वाचकों जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किए गए हैं, को अपने मत देने से पहले मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए एपिक प्रस्तुत करना है। जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

3. जैसाकि आयोग के पत्र सं. 464/अनुदेश-वीएस/2014-ईपीएस, दिनांक 21 मार्च, 2014 में निदेश दिया गया है मतदान दिवस से पहले प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्चियां सभी निर्वाचकों को बांटी जाएंगी। मतदान के दिन एक अधिकारी (बीएलओ) मतदान समय के दौरान अवितरित फोटो मतदाता पर्चियों के साथ प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर ड्यूटी पर होंगे ताकि जिस किसी भी निर्वाचक को प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची जारी नहीं की गई है वे मतदान केन्द्रों के बाहर अपनी प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची मूल रूप में प्राप्त कर लें। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अवितरित फोटो मतदाता पर्चियों के साथ अधिकारी मतदान केन्द्रों के बाहर एक सुप्रकट स्थान पर स्थापित फैसिलिटेशन डेस्क पर बैठें। यह जानकारी सम्प्रेषित करने वाले बैनर/पोस्टर भी स्थानीय भाषा में ऐसे स्थानों पर लगाए जाने चाहिए जो आसानी से देखे जा सकें। आयोग के इस आदेश का मतदान से पहले सभी मीडिया चैनलों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

4. एपिक के मामले में, उसकी प्रविष्टियों की मामूली असंगतियां नजरअंदाज कर दी जानी चाहिए बशर्ते एपिक द्वारा निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सके। अगर निर्वाचक कोई ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड प्रस्तुत करते हैं जो दूसरे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो ऐसे कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में मौजूद हो जहां निर्वाचक मतदान करने उपस्थित हुए हैं। अगर फोटोग्राफ, आदि के बेमेल होने की वजह से निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव नहीं हो तो निर्वाचक को आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा।

5. प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट ही पेश करना होगा।

6. आदेश संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। इस आदेश की प्रादेशिक भाषा में अनूदित एक प्रति हर एक पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

7. आयोग का आदेश, दिनांक 26 मार्च, 2015 राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित करवाया जाए। इस आदेश का सामान्य जनता एवं निर्वाचकों की जानकारी के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उक्त उप-निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश से लिखित रूप में अवगत कराया जाए।

8. कृपया नोट करें कि प्रपत्र 17क (मतदाता रजिस्टर) के स्तंभ (3) में पहचान दस्तावेज के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एपिक और प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों के मामले में यह पर्याप्त होगा कि क्रमश: अक्षर 'ईपी' (एपिक का सूचक) और 'वीएस' (फोटो मतदाता पर्ची का सूचक) का संगत स्तंभ में उल्लेख कर दिया जाए और एपिक या फोटो मतदाता पर्ची की संख्या लिखना आवश्यक नहीं है। हालांकि, जो लोग कोई वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करते हैं उनके मामले में दस्तावेज के अंतिम चार अंकों के लिखे जाने के अनुदेश लागू बने रहेंगे। उसमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के प्रकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

9. रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाएंगे कि वे इस आदेश की विवक्षाएं नोट करें और विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को उसकी विषय-वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों/बूथों में उपलब्ध हो।

10. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

ह./-
(एन. टी. भुटिया)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

सं. 3/4/आई.डी./2015/एसडीआर/खण्ड-I दिनांक- 26 मार्च, 2015

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है तथा
2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज(3) तथा 49ट(2)(ख) में यह अनुबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है, तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने पर ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,
5. यतः, निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है, तथा

6. यतः, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के निर्वाचकों को काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा
7. यतः, इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि वर्तमान उप- निर्वाचनों की मतदान तिथि से पूर्व मतदाताओं को **"प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची"** बांटी जाएगी,
8. अतः, अब सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि 17-03-2015 को अधिसूचित **महाराष्ट्र के 176-वान्द्रे पूर्व एवं 287-तासगांव-कवठे महांकाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, पंजाब के 107-धूरी विधान सभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 231-चरखारी एवं 315-फरेन्दा विधान सभा क्षेत्रों तथा उत्तराखण्ड के 28-भगवानपुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** के उप-निर्वाचनों के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे । ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः-
    I. पासपोर्ट
    II. ड्राइविंग लाइसेंस
    III. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
    IV. बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
    V. पैन कार्ड
    VI. आधार कार्ड
    VII. आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
    VIII. मनरेगा जॉब कार्ड
    IX. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
    X. फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज,
    XI. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, एवं
    XII. सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सद्स्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र ।

9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई

मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगें बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभंव न हो तब मतदाता को उपयुर्कत पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

आदेश से,

अनुज जयपुरियार

(अनुज जयपुरियार)
सचिव